



2026:AHC:51233

**उच्च न्यायालय इलाहाबाद
रिट -सी संख्या – 657/2026**

त्रिलोकी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अभय प्रताप सिंह, अलोक कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उप जिलाधिकारी, मांट, जिला मथुरा के हस्ताक्षरों सहित दिनांक 9.3.2026 की निर्देश प्रस्तुत की है, जिसे अभिलेख में लिया जाता है। निर्देश में यह कहा गया है कि वर्तमान रिट याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता द्वारा अनेक तथ्य छिपाए गए हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं कि इस याचिका को 'प्रेस न किए जाने के रूप में' खारिज कर दिया जाए।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सिंह ने विरोध नहीं किया है।
4. रिट याचिका प्रेस न किए जाने के रूप में खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता को कार्रवाई के समान कारण से नई रिट याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता (अनुज्ञा) प्रदान नहीं की जाती है।

11 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”